सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1927 शकाब्द

संख्या 664 राँची, बुधवार 7 दिसम्बर, 2005

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2005

संख्या-एल०जी०-11/2005-76/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005
[झारखण्ड अधिनियम 11, 2005]

झारखण्ड राज्य में गाय एवं उसकी नस्ल के हत्या के प्रतिषेध हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

धारा-1: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(क) इस अधिनियम का नाम झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 होगा ।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

(ग) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित करें ।

धारा-2: परिभाषाएँ :

इस अधिनिमय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'गो-मांस' से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है ;

(ख) 'गोवंशीय पशु' से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांढ़ या बैल;

(ग) 'सांढ़' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ;

(घ) 'बैल' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ;

(ड.) 'बछड़ा' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वन्ध्यकृत/अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ;

(च) 'गाय' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है ;

(छ) 'बछिया' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई मादा अभिप्रेत है ;

(ज) 'हत्या' से अभिप्रेत है किसी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विकलांग करना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाना जिससे कि मामूली अनुक्रमण में मृत्यु हो जाय । दुर्घटनावश या आत्मरक्षा में की गई हत्या को इस अधिनियम में हत्या नहीं माना जाएगा;

(झ) 'निर्यात' से झारखण्ड राज्य से झारखण्ड राज्य के बाहर किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;

(ञ) 'सक्षम अधिकारी' से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुमण्डल दंडाधिकारी के पद से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्ति किया हो;

(ट) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ठ) 'पशु चिकित्सा पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पशु चिकित्सा पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित किया गया हो ;

(ड) ''अपीलीय अधिकारी'' से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा पदाधिकारी जो उपायुक्त से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो;

धारा-3: गोपशुओं की हत्या का प्रतिषेध :

(क) कोई भी व्यक्ति 'तत्समय प्रवृत' किसी विधि में या किसी प्रथा या रुढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी गोवंशीय पशुओं का हत्या नहीं करेगा या बध नहीं करवाएगा या हत्या किये जाने के लिए इसे प्रस्थापित नहीं करवाएगा ।

(ख) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित, करना वह ठीक समझें, किन्हीं भी व्यक्ति या संस्था को चिकित्सकीय या अन्वेषण संबंधी प्रयोजनों के लिए गोवंशीय पशुओं की हत्या को या उसके मांस के कब्जे में रखे जाने को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

धारा-4: हत्या के लिए गो-पशुओं के परिवहन का प्रतिषेध ।-

कोई भी व्यक्ति गो पशुओं का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी हत्या के प्रयोजन के लिए, या यह जानकारी रखते हुए कि उसकी इस प्रकार हत्या की जाएगी या उसकी इस प्रकार हत्या किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को परिवहन नहीं करेगा या उसके परिवहन के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या प्रस्थापना नहीं करवाएगा ।

धारा 4(क) **निर्यात का प्रतिबंध** (1) कोई भी व्यक्ति गो-पशुओं का इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में या जानकारी रखते हुए कि उसकी हत्या की जाएगी या यह कि उसकी हत्या किये जाने की संभावना है, हत्या के प्रयोजन के लिए निर्यात न तो स्वयं करेगा और न ही अपने अभिकर्त्ता या नौकर के मार्फत अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत करवाएगा ।

धारा 4(ख) **निर्यात हेतु अनुज्ञापन** (1) कोई भी व्यक्ति जो गो-पशुओं का निर्यात करना चाहता है, अनुज्ञापत्र के लिए ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियुक्त करे, आवेदन करेगा जिसमें वे कारण कथित किये जायेंगे, जिनकी वजह से उसका निर्यात किया जाना है तथा साथ ही उन गायों तथा बछड़े-बाछियों की संख्या जिनका, तथा उस राज्य का नाम, जिसको निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, कथित किया जायेगा, और वह इस आशय की घोषणा भी करेगा कि उन गायों या बछड़े-बाछियों/सांढ़-बैल की , जिनके निर्यात के लिये अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, हत्या नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, आवेदक की प्रार्थना की वास्तविकता या अवास्तविकता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, आवेदन में विनिर्दिष्ट गाय, बछड़ा-बछड़ी, बैल और सांढ़ के निर्यात के लिये या तो उसे अनुज्ञापत्र दे सकेगा या अनुज्ञापत्र देने से इंकार कर सकेगा ;

परंतु अनुज्ञापत्र दिये जाने के लिये किया गया कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और नामंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न किया गया हो ;

परंतु यह और भी कि गाय, बछड़ा-बछड़ी, बैल और सांढ़ ऐसे राज्य को निर्यात किये जाने के लिये अनुज्ञापत्र नही दिया जाएगा जहाँ गौ हत्या पर विधि द्वारा पाबंदी न लगाई गई हो ।

धारा-4(ग) **विशेष अनुज्ञापत्र**-राज्य सरकार गोवंशीय पशुओं के परिवहन या निर्यात के लिये विशेष अनुज्ञापत्र दे सकेगी यदि उसकी यह राय हो कि वैसा करना लोकहित में होगा ।

धारा-4(घ) **कोई भी व्यक्ति या संस्थान** / गोपशुओं का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखण्ड राज्य के माध्यम से करना चाहे तो उन्हें झारखण्ड राज्य में प्रवेश के पूर्व इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायेंगे, से अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा ।

धारा-5: **गोवंशीय पशुओं के विक्रय, क्रय या व्ययन का प्रतिषेध :**
कोई भी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं की हत्या के लिये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे पशुओं की हत्या की जायेगी, न तो क्रय करेगा न विक्रय करेगा और न अन्यथा व्ययन करेगा और न उनको क्रय करने, विक्रय करने या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना करेगा और न उनका क्रय, विक्रय या अन्यथा व्ययन करवायेगा ।

धारा-6: गोवंशीय पशुओं का मांस कब्जे में रखने का प्रतिबंध :

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे गोवंशीय पशु का मांस अपने कब्जे में नहीं रखेगा जिसकी हत्या-इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किया गया है ।

धारा-7: गोमांस विक्रय निषिद्ध :

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी रूप में गोमांस-उत्पाद विक्रय नही करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा या विक्रय हेतु प्रस्थापना नहीं करेगा, जिसकी हत्या इस अधिनियम के उपबंध के उल्लघंन में किया गया हो ।

धारा-8: संस्थाओं की स्थापना :

सरकार द्वारा या सरकार द्वारा जब वैसा निर्देश दिया जाय तो स्थानीय निकाय / प्राधिकृत द्वारा अनार्थिक गायों की भाव भक्ति, भरण-पोषण और सार-सम्भार हेतु संस्थानों की स्थापना की जाएगी; वशर्ते की सरकार द्वारा पूर्व से प्रतिष्ठित किसी संस्था को इस अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठित संस्था के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है ।

धारा-9: प्रभार और शुल्क आरोपण :

सरकार और स्थानीय निकाय, यदि अधिकृत हों तो, संस्थानों में अनार्थिक गायों के भरण-पोषण और सार-सम्भार हेतु यथा निर्धारित रीति से वैसे शुल्क आरोपित कर सकेगी ।

धारा-10: प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण शक्ति :

(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये, सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, यह शक्ति होगी कि वह अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है, प्रवेश करे तथा उनका निरीक्षण करे ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, यथास्थिति लिये अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह (पूर्ववत) प्रयोजन के लिये अपेक्षित करे, और यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा ।

(3) सब इन्सपेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 4(क) तथा धारा 4(ख) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने के लिये कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है -

(क) गोवंशीय पशुओं के निर्यात के लिये उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने के लिए आशियित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, या उसमें प्रवेश करने उसे रोकने और तलाशी लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(ख) गोवंशीय पशुओं का, जिनके बारे में उसे यह संदेह हो कि धारा 4 (क) और 4 (ख) के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उन यानों सहित, जिसमें गोवंशीय पशु पाई जायें, अभिग्रहण कर सकेगा या उनका अभिग्रहण किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा, या उनका अभिग्रहण किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा और तत्पश्चात् वे समस्त उपाय कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार अभिगृहीत की गई पशुओं तथा यानों का न्यायालय में पेश किया गया जाना है तथा इस प्रायोजन के लिये कि पेश किये जाने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है, आवश्यक है ।

(ग) तलाशी तथा अभिग्रहण के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध, जहाँ तक हो सके इस धारा के अधीन की तलाशियों तथा अभिग्रहण लागू होंगे ।

परन्तु राज्य सरकार किसी वैसे व्यक्ति या व्यक्ति जो जनहित में कार्यरत हो के समूह को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर इस अधिनियम के अधीन शक्ति प्रदान कर सकेंगी ।

धारा 11. अभिगृहित गोवंशी पशु की अभिरक्षा और निपटारा :

(1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहित किये जायें तो अभिगृहित किए गए गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम अधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी या धारा-8 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय को सौपी जा सकेगी ।

परन्तु जहाँ किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी या स्थानीय निकाय नहीं हो वहाँ सक्षम अधिकारी गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या निकाय या ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौप सकेगा जो ऐसी पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे । लेकिन किसी भी परिस्थिति में उस व्यक्ति या उनसे संबंध व्यक्ति को अभिगृहित पशुओं की अभिरक्षा हेतु समर्पित नहीं की जा सकेगी जिनके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधित नियमों के उल्लंघन में कार्य किये गये हों ।

अभिगृहित काल में रखे गए गो पशुओं के खर्च का वहन सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित दर पर पशु मालिकों से की जाएगी ।

(2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधक और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जाय ।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन किये गए किसी आदेश से कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध अपीलीय पदाधिकारी को अपील कर सकेगी ।

(4) ऐसी अपील पर अपीलीय पदाधिकारी अपीलार्थी और उत्तरवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक रोक के आदेश दिये जाने का निर्देश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिला कर सकेगा और ऐसे कोई भी आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हो ।

(5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहित किया जाय तो सक्षम अधिकारी को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी ।

धारा-12: दण्ड :

(1) जो कोई धारा-3 या धारा-5 या धारा-6 या धारा-7 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुमार्ने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

(2) जो कोई धारा 4-(क) या धारा 4-(ख) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा, दडिण्त किया जाएगा ।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष तथा पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसा कारावास छः मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा ।

(3) जब कभी किसी वाहन के द्वारा इस अधिनियम में उपबंधित नियमों के विरुद्ध गो पशुओं या उनके मांस का वहन किया जायेगा तो ऐसे वाहनों को सरकार जब्त करेंगी ।

धारा-13: किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुँचाने के लिए दण्ड :

(1) जो कोई गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियाँ कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कठोर कारावास से जो एक वर्ष से तीन वर्ष तक की होगी । और ऐसे जूमनि से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है;

(क) पुंस्त्वहरण; सांड़ के मामले में,

(ख) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टि शक्तिहीन करना,

(ग) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,

(घ) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना,

(ड़) किसी हड्डी या दाँत का भंग या विस्थापन,

(च) कोई भी उपहानि, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहृत को घोर शारीरिक कष्ट-कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दें ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है ।

धारा-14: साबूत का भार :

जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रथम द्रष्टव्य आरोप साबित होने के पश्चात् किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था ।

धारा-15: दुष्प्रेरण या प्रयत्न :

जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दण्ड से, दण्डित किया जायेगा जो कि ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में उपबंधित किया गया है ।

धारा-16: अपराधों का संज्ञेय तथा गैर-जमानती होना :

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होगा जो गैर जमानतीय होगा ।

धारा 17: इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएँगे :

समस्त सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हों, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे ।

धारा-18: सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परित्राण :

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात दे संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जाना आशाचित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

धारा-19. अपवाद :

(1) धारा 3 का कुछ भी गो हत्या पर लागू नहीं होगा, यदि

(क) उस क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या यथा प्राविधित पशु चिकित्सा विभाग का कोई अन्य पदाधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उसकी पीड़ा ऐसी है कि उसका नष्ट किया जाना वांछनीय है; या

(ख) जो शासन द्वारा इस रूप में सांसर्गिक या छूत जन्य रोग से पीड़ित है; (2) उपधारा (1) के वाक्य (क) या (ख) में किसी गाय की हत्या आशचित होने पर, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक होगा कि वह उस क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या यथा निर्धारित पशु चिकित्सा विभाग के किसी अन्य अधिकारी के द्वारा जारी लिखित अनुमति ले लें ।

धारा-20: नियम बनाने की शक्ति :

राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2005

संख्या एल०जी०-11/2005-77/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को अनुमत झारखंण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 11, 2005) का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :-

JHARKHAND BOVINE ANIMAL PROHIBITION OF SLAUGHTER ACT, 2005

[JHARKHAND ACT, 11, 2005]

AN ACT TO PROHIBIT THE SLAUGHTER OF COW AND ITS PROGENY IN JHARKHAND

Be it enacted by the Jharkhand Legislature in the fifty sixth year of Republic of India as follows :-

Section-1: Short title, extent and commencement :-

a. This Act may be called the Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005;

b. It extends to the whole of the State of Jharkhand;

c. It shall come into force from the date the State Government may, by notification in the official Gazette; notify.

Section-2 : Definition-In this Act, unless the context otherwise requires :-

a. "beef" means flesh or Bovine animals;

b. "Bovine animal" means and includes cow, calf, heifer, bull or bullock;

c. 'bull' means an uncastrated male above the age of three years belonging to the species of Bovine animals;

d. 'bullock' means a castrated male above the age of three years belonging to the species of Bovine animals;

e. 'calf' means a castrated or uncastrated male of the age of three years or below belonging to the species of Bovine animals;

f. 'cow' means a female above the age of three years belonging to the species of Bovine animals;

g. 'heifer' means a female of the age of three years or below belonging to the species of Bovine animals;

h. 'slaughter' means and includes intentional killing for any purpose by any method what so ever, it also includes as such type of bodily injury or disability which may cause death in ordinary course of nature but should not mean or include accidental killing or killing in bonafide self defence;

i. 'export' means to take out of the state of Jharkhand to any other place out of the state of Jharkhand;

j. "competent authority" means any officer *not below the rank of Sub-divisional Magistrate* who may be authorized by the state Government by notification in the official Gazette, for the purpose of this Act;

k. 'code' means the code of criminal procedure, 1973 (2 of 1974);

l. "veterinary officer" means veterinary officer of Jharkhand Animal Husbandry Services who may be authorized by the State Government by notification in the official Gazette;

m. "appealing authority" means any officer not below the rank of deputy commissioner, who may be authorized by the State Government by notification in the official Gazette;

Section-3 : Prohibition of slaughter of bovine animal :-

A Not withstanding anything contained in any law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any bovine animal;

B The State Government may by general or special order and subject to such condition as it may think fit to exempt any person or institute from the operation of this act as allow the slaughter of any bovine animal or the possession of flesh thereof for any medical or research purpose;

Section-4 : Prohibition on transport of bovine animal for slaughter :-

No person shall transport or offer for transport or cause to be transported bovine animals from any place within the State to any place outside the State for the purpose of its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be slaughtered;

Section-4 (A) : Restriction on export :-

No person shall export or cause to be exported any bovine animals for the purpose of slaughter either directly or through his agent or servant or any other person acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be slaughtered.

Section-4 (B) : Permit for export :-

(1) Any person desiring to export any bovine animal shall apply for a permit to such officer, as the State Government may by notification appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported and also the number of bovine animals and the name of the State to which they are proposed to be exported and shall also file a declaration that it shall not be slaughtered.

(2) The officer appointed under sub-section (1) shall after satisfying himself about the genuineness or otherwise of the request of the application either grant or refuse to grant him a permit for the export of any bovine animal specified in the application.

Provided that an application for the grant of a permit shall not be refused unless the application has been afforded an opportunity of being heard and the reasons for the refusal are recorded;

Provided further that the permit shall not be granted for export of any bovine animal to a State where cow slaughter is not banned by law.

Section-4 (C) : Special Permits :-

The State Government may issue special permits for transport or export of bovine animals if it is of the opinion that it will be in the public interests to do so.

Section-4 (D) : Transit Permits :-

Any person who wants to transport any bovine animal from one State to other via Jharkhand State must take transit permit from competent authority notified by the Government from time to time.

Section-5 : Prohibition of sale, purchase or otherwise disposal of bovine animals :-

No person shall purchase, sell or otherwise dispose of or offer to purchase, sell or otherwise dispose of or cause to be purchased, sold or otherwise dispose of bovine animals for slaughter or knowing or having reason to believe that such cattle shall be slaughtered

Section-6 : Prohibition on possession of bovine animal flesh :-

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall have in his possession of flesh of bovine animals slaughter in contravention of the provisions of this Act.

Section-7 : Prohibition of sale of bovine animals flesh :-

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall sell or offer for sale or cause to be sold bovine animals' flesh or its product in any form which has been slaughtered in contravention of the provisions of this Act.

Section-8 : Establishment of Institutions :-

There shall be established by the Government or by any local authority, when so directed by the Government, institutions for the reception, maintenance and care of uneconomic cows, or the State Government may declare any existing Institution as an Institution established under this Act.

Section-9 : Levy of charges and fees :-

The State Government, or the local authority, if so authorized, may levy such fees as may be prescribed for care and maintenance of uneconomic cows in the institutions.

Section-10 : Power of entry, search and seizure :-

(1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act the competent Authority or the veterinary officer or any person authorized by the competent outhority or the veterinary officer in writing in this behalf, shall have power to enter and inspect any permises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, or is being or is likely to be committed.

(2) Every such person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall obtain the permission as the case may be for the previous purpose as he may require and shall respond to any question that may be posed to him by the competent authority, veterinary officer or the authorised person as per his best knowledge any belief.

(3) Any police officer not below the rank of sub-inspector or any person authorized in this behalf by the State Government may with a view to securing compliance with the provision of the section 4 (a) and section 4 (b) or for satisfying himself that the provision of the said section has been complied with-

(a) enter, stop and search or authorize any person to enter, stop and search any vehicle used or intended to be used in the export of bovine animals.

(b) Seize or authorize the seizure of bovine animals in respect of which he suspects that any provisions of section 4 (a) or 4 (b) has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such animals are found and thereafter take or authorise the taking of all necessary measures for securing the production of the animals and vehicle so seized, in a court and for their safe custody pending production.

(c) The provisions of section 100 of the code of criminal procedure, 1973 (no. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to search and seizures under this section.

Provided further that the State Government may, by notification in the official gazette confer the power under this Act upon any person or group of persons considered to be acting in public interest.

Section-11 : Custody and disposal of bovine animal seized :-

(1) Whenever as a result of search or seizure or as a result of inspection or otherwise the bovine animal are seized, the custody of the seized bovine animal pending final disposal of the case may be entrusted by an order of the competent authority to any recognized voluntary agency working for the welfare of such animals or to any institution/local authority as established under Section-8.

Provided that where, there is no such voluntary agency or local institution, the competent authority may entrust the custody of bovine animals to any such agency or local institution outside the area or to any other suitable person, who volunteer to maintain such animal but in no case such custody may be given to the accused or any person connected with the violation of the provisions of this Act.

During the custody period the expenditure on Bovine animals will be borne by the Animal's owner as per the direction of the competent authority.

(2) whenever any case is finally disposed of further orders regarding custody or permanent entrustment of bovine animal shall be made by competent authority subject to such terms and conditions as may be deemed proper.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may, within 30 days from the date of the said order, appeal it to the appealing authority.

(4) On such appeal the appealing authority may after giving appeallant and the respondent opportunity to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just; and

(5) whenever any bovine animal is seized under this Act, the competent authority or the appealing authority shall have, and not withstanding any thing to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery disposal & release of such animals.

Section-12 : Penalty :-

(1) whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section-3 or section-5 or section-6 or section-7 shall on conviction be punished with a rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but may extend to 10 years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of sub section (a) and (b) of section 4 shall on conviction be punished with rigorous imprisonments of either description for or term which may extend up to 3 years and with a fine which may extend to 5 thousand rupees.

Provided that except for special and adequate reasons to be recorded in the judgment of the court such imprisonment shall not be less than six months and such fine shall not be less than one thousand rupees.

(2)

(3) whenever a vehicle is found to have been used in transportation of Cattle or beef contravening any provision of this Act the vehicle shall be forfeited to the State Government.

Section-13 : Punishment for intentionally injuring any bovine animal :-

whoever intentionally cause grievous injuries to a bovine animal shall on conviction be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend up to three years and with fine which may extend to three thousand rupees.

Explanation : For the purpose of this section grievous injury shall include :-

(i) Emasculation (in the case of a bull)
(ii) Permanent privation of sight of either eye.
(iii) Permanent privation of hearing of either ear.
(iv) Privation of any member of joint.
(v) Fracture or dislocation of a bone or a tooth.
(vi) Any hurt that endangers life or which causes the sufferer severe bodily pain and ultimately render unfit or unserviceable.

(2) Whoever abets the commission of an offence under sub-section (1) shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as provided for the said offence.

Section-14: Burden of proof :-

Where any person is prosecuted for the offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provision of the Act, shall be on him, if the prosecution is in a position to produce the prima facie evidence against him at the first instance.

Section-15: Contravention or attempt of contravention :-

Whoever Contravenes or attempts to contravene any of the provisions contained in this Act shall be punished as specified in this Act.

Section-16: Offence to be cognizable and Non bailable :-

Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), an offence under this Act shall be cognizable and non bailable.

Section-17: Person exercising power under this Act deemed to be public servants :-

All Competent authority, Veterinary Officers, Appealing authority and any other persons exercising power under this Act shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Section-18: Protection of persons acting in good faith :-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith is done or intended to be done under this Act or rules made there under.

Section-19: Exemption :-

(1) Nothing in Section-3 shall apply to the slaughter of Bovine animal,

(a) whose suffering is such as to render its distinction desirable according to the certificate of the Veterinary Officer of the area or such other officer of the Animal Husbandry Department as may be prescribed; or

(b) Which is suffering from any contagious or infection disease notified as such by the Government;

(2) Where it is intended to slaughter a cow for the reasons specified in clause (a) or clause(b) of Sub-Section (1) it shall be incumbent for a person doing so to abtain a prior permission in writing of the Veterinary Officer of the area or such other officer of the Animal Husbandry Department as may be prescribed.

Section-20: Power to make rules :-

The state Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम बिलाश गुप्ता,
सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 664--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 647 — 20 अग्रहायण, 1928 शकाब्द
राँची, सोमवार 11 दिसम्बर, 2006

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (पशुपालन)

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2006

संख्या-4 एफ० (1)08/2003-03 अंश प०पा०-2519--झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिशेध अधिनियम 2005 (2005 का 11) में निहित प्रावधानों का सफल कार्यान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 2 का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्न पदासीन पदाधिकारी को सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है :-

(1) ''सक्षम अधिकारी-अधिनियम की धारा-2 उपधारा-(ज्ञ) में उल्लिखित सक्षम अधिकारी, झारखण्ड सरकार में कार्यरत संबंधित अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी होंगे ।

(2) ''पशु चिकित्सा पदाधिकारी''-अधिनियम की धारा-4 के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पशु चिकित्सा पदाधिकारी जो झारखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधित हों, तथा झारखण्ड राज्य के किसी पशुचिकित्सालय/प्रखण्ड में सरकार द्वारा पदस्थापित हों, होंगे ।

अधिनियम के अन्तर्गत अन्य उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु पशुचिकित्सा पदाधिकारी से तात्पर्य झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पदाधिकारी जो झारखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधित हों, तथा झारखण्ड सरकार द्वारा किसी अनुमंडल/जिला पशुपालन पदाधिकारी के पद पर आसीन हों, होंगे ।

(3) ''अपीलीय अधिकारी''-अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(ड) में उल्लिखित अपीलीय अधिकारी, झारखण्ड सरकार में कार्यरत संबंधित जिला के उपायुक्त होंगे ।

(4) अधिनियम की धारा-8 के अधीन संस्थाओं के स्थापना हेतु ''झारखण्ड गो-सेवा आयोग'' जो झारखण्ड गो-सेवा आयोग, अधिनियम-2005 (अधिनियम-02, 2006) के अधीन गठित है, को अधिकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ए०के० सरकार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
झारखण्ड गजट (असाधारण) 647-300+100-शनि मुण्डा ।

झारखण्ड सरकार
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
(पशुपालन)

132-
12/3/011

" अधिसूचना "

संख्या – 4 क्रय (1) विविध/गो हत्या प्रतिषेध अधिनियम – 16/2006 प०पा० .... /झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 (2005 का 11) की धारा – 20 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करती है, जिसे "झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध नियमावली – 2011" के नाम से जाना जायेगा :

नियम – 1: संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ––

(क) इस नियमावली को झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध नियमावली, 2011 के नाम से जाना जाएगा।

(ख) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

नियम – 2: परिभाषाऐं ––

(1) "अधिनियम" से झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम – 2005 अभिप्रेत है।

(2) "प्ररुप" से इन नियमों से संबंधित कोई प्ररुप अभिप्रेत है।

(3) "सरकार" और "राज्य" से क्रमशः झारखंड सरकार और झारखंड राज्य अभिप्रेत है।

(4) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किये गए है।

नियम – 3: गोवंशीय पशुओं के निर्यात हेतु परमिट ––

(1) अधिनियम की धारा – 4 (ख) के अधीन पशुओं को कृषि कार्य, पशु मेला, चराई, आदि के उद्देश्य से निर्यात की अनुज्ञा चाहनेवाले कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी को प्ररुप – 1 में उद्देश्य के साथ आवेदन करेगा।

(2) प्ररुप – 1 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी गोवंशीय पशुओं के निर्यात की आवश्यकताओं का परीक्षण और मूल्यांकन करेगा। आवेदन के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान होने के पश्चात् वह पशु चिकित्सा पदाधिकारी को पशुओं के स्वास्थ्य की परीक्षा करने एवं निर्यात किये जानेवाले पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने का आदेश जारी कर सकेगा।

(3) पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्ररुप – 2 में प्रमाण–पत्र जारी करेगा और निर्यात किये जानेवाले पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाएगा।

(4) गोवंशीय पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्ति के पश्चात् सक्षम अधिकारी पशुओं को राज्य के बाहर निर्यात हेतु अनुज्ञा करते हुए प्ररुप – 3 में परमिट जारी करेगा।

10

नियम – 4: गोवंशीय पशुओं के निर्यात हेतु विशेष परमिट ––

(1) अधिनियम की धारा 4(ग) के अधीन गोवंशीय पशुओं के परिवहन या निर्यात करने के लिये विशेष अनुज्ञा–पत्र चाहनेवाले व्यक्ति निर्यात/परिवहन का उद्देश्य उल्लेखित करते हुए प्ररुप–पत्र में इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी को आवेदन देगा।

(2) प्ररुप – 1 मे आवेदन प्राप्त होने पर इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी गोवंशीय पशुओं के परिवहन/निर्यात की आवश्यकताओं का परीक्षण और मूल्यांकन करेगा।

आवेदन के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान होने के पश्चात् यथा अधिसूचित प्राधिकारी स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी (जहाँ से पशुओं का निर्यात किया जाना है) को पशुओं के स्वास्थ्य की परीक्षा करने एवं निर्यात किये जानेवाले पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने का आदेश जारी करेगा।

(3) पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्ररुप – 2 में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाएगा।

(4) गोवंशीय पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार (पशुपालन विभाग) पशुओं को राज्य के बाहर परिवहन/निर्यात हेतु इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के स्तर से विशेष अनुज्ञा निर्गत करते हुए प्ररुप – 4 में परमिट जारी करेगी।

नियम – 5: एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखंड राज्य के माध्यम से परिवहन हेतु परमिट ––

(1) अधिनियम की धारा 4(घ) के अधीन कोई भी व्यक्ति/संस्था एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखंड राज्य के माध्यम से गो वंशीय पशु का परिवहन करना चाहता है तो राज्य में प्रवेश के पूर्व सक्षम अधिकारी को प्ररुप – 1 में परिवहन का उद्देश्य उल्लेखित करते हुए आवेदन देगा।

(2) प्ररुप – 1 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम पदाधिकारी गोवंशीय पशुओं के परिवहन के उद्देश्य का परीक्षण और मूल्यांकन करेगा। सक्षम पदाधिकारी आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान होने एवं यह भी विश्वास हो जाने के पश्चात् कि गोवंशीय पशुओं को हत्या के उद्देश्य से नहीं ले जाया जा रहा है, पशु चिकित्सा पदाधिकारी को पशुओं के स्वास्थ्य की परीक्षा करने एवं निर्यात किये जानेवाले पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने का आदेश जारी करेगा।

(3) पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्ररुप – 2 में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाएगा।

(4) गोवंशीय पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्ति के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखंड राज्य के माध्यम से परिवहन हेतु प्ररुप – 5 में परमिट जारी करेगा।

9

नियम – 6: परिवाहक गोवंशीय पशुओं की लदाई के पूर्व यह सम्पुष्ट हो लेगा कि इन पशुओं को परिवहन/निर्यात के पूर्व अधिनियम की धारा – 4 (ख), (ग) एवं (घ) के अधीन परमिट जारी किया जा चुका है।
ऐसा नहीं होने पर वह अधिनियम की धारा – 12 के अधीन दंड का भागी होगा।

नियम – 7: गोवंशीय पशुओं का प्रभारी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को राज्य के बाहर ले जाते समय विधिमान्य परमिट अपने साथ रखेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
11.03.11
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 4 क्रय (1) विविघ/गो हत्या प्रतिषेध अधिनियम – 16/2006 प०पा० 132 –
दिनांक 12/3/011

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को नियमावली की Hard तथा Soft Copy के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

11.03.11
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 132 – दिनांक 12/3/011
प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

11.03.11
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 132 – दिनांक 12/3/011
प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त एवं सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/आरक्षी महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय महानिरीक्षक/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी/सभी पशुचिकित्सा पदाधिकारी/सभी नगर निगम प्रशासक एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.11
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 132– दिनांक 12/3/011

प्रतिलिपि :– झारखण्ड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्यों/सभी गोशाला संघ के सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

11-03-11

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 132– दिनांक 12/3/011

प्रतिलिपि :– पशुपालन मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय पशुपालन पदाधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11-03-11

सरकार के सचिव

6

प्ररुप – 1

निर्यात हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन

सेवा में,

अनुमंडल दंडाधिकारी / सक्षम अधिकारी
अनुमंडल ————————————
जिला ——————————————
झारखंड।

महोदय,

मैं ....
पुत्र .... ग्राम / निवासी ....
डाकघर ....अनुमंडल ....
जिला... झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की घारा – 4(ख) के अधीन गो वंशीय पशुओं को झारखंड राज्य से बाहर निर्यात करने हेतु आवेदन करता हूँ। पशुओं को विवरण और संख्या निम्न है:–

1. पशुओं की किस्म :– गाय / बछिया / बछड़ा / बैल / साँढ़
   ....
   कुल पशुओं की संख्या :– ....

2. उस राज्य का नाम और स्थान जहाँ के लिये निर्यात किया जाना है ....
   ....

3. निर्यात का कारण ....

स्थान ....

दिनांक..

आवेदक का हस्ताक्षर ....

पूरा नाम एवं पता ....

प्ररुप – 2

निर्यात हेतु स्वास्थ्य पहचान प्रमाण–पत्र

सख्या – .... दिनांक –..............................

प्रमाण–पत्र

मैं डॉ० ....
प्रभारी, पशु चिकित्सालय ....
प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री ....
पुत्र .... ग्राम / निवासी..............................
पत्राचार ....अनुमंडल..............................
जिला..............................के नीचे वर्णित गोवंशीय पशु का परीक्षण किया है:–

1. पशु की किस्म ....आयु ....लिंग..................नश्ल.............
2. यदि मादा हो तो विनिर्दिष्ट करें ....गर्भवती / दुधारु / निदुघारु
3. प्राकृतिक पहचान चिह्न ....
   (रंग, सींग, पूँछ की स्थिति वालों के गुच्छें सहित)
4. स्थायी पहचान चिन्ह..............................
5. टीका अभिलेख टीकाकरण दिनांक

   गला घोंटू (एच0एस0) ....

   जहरबात (बी0क्यू0) ....

   खुरहा चपका (एफ0एम0डी0) ....
   अन्य (स्पष्ट उल्लेख करें) ....

अनुमंडल दंडाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी के अनुरोध पत्र संख्या – ... .दिनांक – .... के आलोक में उपरोक्त पशु निर्यात के लिये उपयुक्त है।

स्थान – ....

दिनांक – ....

पशु चिकित्सा पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्ररुप – 3

गोवंशीय पशुओं को झारखंड से निर्यात हेतु परमिट

परमिट संख्या – .... दिनांक –....................................

झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम – 2005 (2005 का 11) की धारा – 4 (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुमंडल दंडाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी, अनुमंडल – .... जिला– ....निम्नलिखित विवरण एवं संख्या वाले गोवंशीय पशुओं को झारखंड राज्य से बाहर निर्यात हेतु अनुज्ञा देता हूँ:–

पशु स्वामी का नाम –..

पूरा पता –...
....

पशुओं के किस्म :– गाय/ बछिया/ बछड़ा/ बैल/ साँढ़
....

कुल पशुओं की संख्या :–...

पशुओं की पहचान चिन्ह :–...

(स्वास्थ्य प्रमाण पत्र–संख्या................दिनांक ....में दिये गये के अनुसार)

उस स्थान और राज्य का नाम जहाँ निर्यात किया जाना है...
....

उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे पशु खरीदे गये/प्राप्त किये गये ....
....

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे पशु निर्यात किये जाने है..
....

स्थान –...

दिनांक – ....

मुहर

अनुमंडल दंडाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररुप – 4

गोवंशीय पशुओं के परिवहन/निर्यात हेतु
विशेष अनुज्ञा पत्र

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग,
(पशुपालन)
झारखंड, राँची

पत्रांक ....   दिनांक ....

झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम – 2005 की धारा –4(ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं.. पदनाम .... पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड, राँची निम्नलिखित विवरण एवं संख्या वाले गोवंशीय पशुओं को झारखंउ राज्य से .... निर्यात/परिवहन के लिये विशेष अनुज्ञा देता हूँ।

पशु स्वामी का नाम ....

पूरा पता ....

पशुओं का किस्मः– गाय/ बछिया/ बछड़ा/ बैल/ साँढ

....

कुल पशुओं की संख्या ....

उस स्थान और राज्य का नाम जहाँ के लिये परिवहन किया जा रहा है ....
....

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसमें पशु खरीदें गये/प्राप्त किये गये ....
....

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसमें पशु निर्यात किये जाने है ....
....

स्थान –..

दिनांक .–...

मुहर

परमिट जारी करनेवाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

2

प्ररुप – 5

गोवंशीय पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखंड राज्य के माध्यम से प्रवेश के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन

सेवा में,

अनुमंडल दंडाधिकारी/सक्षम अधिकारी
अनुमंडल..
जिला..
झारखंड।

महोदय,

मैं **(नाम)** ....
पुत्र...ग्राम/निवासी.....................................
डाकघर...थाना...
जिला..राज्य ....झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिशेध अधिनियम, 2005 की धारा – 4(घ) के अधीन, गोवंशीय पशुओं को ....राज्य से ....राज्य में झारखंड राज्य के माध्यम से प्रवेश करने हेतु आवेदन करता हूँ। पशुओं का विवरण और संख्या निम्न है :–

1. पशुओं की किस्म :– गाय/ बछिया/ बछड़ा/ बैल/ साँढ़
   ....
   कुल पशुओं की संख्या :–...

2. उस राज्य का नाम और स्थान जहाँ के लिये निर्यात किया जाना है................
   ....

3. उस राज्य का नाम और स्थान जहाँ से निर्यात किया जाना है.........................
   ....

4. निर्यात का कारण ....

स्थान –...

दिनांक –...

आवेदक का नाम एवं पूरा पता

प्ररुप – 6

गोवंशीय पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखंड राज्य के माध्यम से परिवहन हेतु परमिट

परमिट संख्या –.................................. दिनांक– ....

झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिशेध अधिनियम, 2005 की धारा – 4(घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनुमंडल दंडाधिकारी/सक्षम अधिकारी, अनुमंडल .... जिला .... निम्नलिखित विवरण एवं संख्या वाले गोवंशीय पशुओं को झारखंड राज्य के माध्यम से परिवहन हेतु अनुज्ञा देता हूँ :–

पूरा पता ....

पशुओं का किस्मः– गाय/ बछिया/ बछड़ा/ बैल/ साँढ़

....

कुल पशुओं की संख्या ....

पशुओं का पहचान चिह्न
(स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संख्या ...... दिनांक –.............................में दिये गये के अनुसार)

उस स्थान और राज्य का नाम जहाँ के लिये परिवहन किया जा रहा है......................
....

उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे पशु खरीदें गये/प्राप्त किये गये......................
....

उस व्यक्ति का नाम और पता जहाँ पशु निर्यात किये जाने है ....
....

स्थान –..

दिनांक –.. मुहर

अनुमंडल दंडाधिकारी/सक्षम अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम